ग्राम पंचायत पढियारखर, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पढियारखर, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पढियारखर में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्रीमति कंचन देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—

1	श्री कुलदीप चन्द	01.04.2022 से 21.04.2023
2	श्री इन्द्रजीत	22.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत पढियारखर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना	9.38

2	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	37.85
3	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना	1.45
4	6.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
5	6.3	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03
6	7	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय	17.90
7	8	गृहकर व अन्य कर के रूप में वसूल की गई राशि को बैंक में जमा न करवाने के फलस्वरूप सम्भावित दुर्विनियोजन	0.18
8	9	अनुदान राशि का सम्भावित दुरूपयोग करना	0.25
9	10	मजदूरी के रूप में दोहरा संदिग्ध भुगतान करना	0.12
10	11	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	0.02

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई । पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । वर्तमान अकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	4.1	अनिर्णीत ।
2	4.2	अनिर्णीत।

3	4.3	अनिर्णीत ।
4	4.4	अनिर्णीत ।
5	4.5	अनिर्णीत ।
6	5	अनिर्णीत ।
7	6	अनिर्णीत ।
8	7	अनिर्णीत ।
9	8	अनिर्णीत ।
10	9	अनिर्णीत ।
11	10	अनिर्णीत ।
12	11	अनिर्णीत ।
13	12	अनिर्णीत ।
14	13	अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत / अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 44 से करने उपरान्त ।
2	4.1	अनिर्णीत।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	5	अनिर्णीत ।
5	6	अनिर्णीत ।
6	7	अनिर्णीत ।
7	8	अनिर्णीत ।
8	9	अनिर्णीत ।
9	10	अनिर्णीत ।
10	11	अनिर्णीत ।

11	12	अनिर्णीत ।
12	13	अनिर्णीत ।
13	14	अनिर्णीत ।
14	15	अनिर्णीत ।
15	16	अनिर्णीत ।
16	17	अनिर्णीत ।
17	18	अनिर्णीत ।
18	19	अनिर्णीत ।
19	20	अनिर्णीत ।
20	21	अनिर्णीत ।
21	22	अनिर्णीत ।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत पढियारखर, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.03.2025 से 25.03.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022—2023	09/2022	05/2022
2023—2024	11/2023	06/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन

पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत पढियारखर, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत पढियारखर, विकास खण्ड पालमपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत पढियारखर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	-86280.93	82133	7934	3786.07	33239.06	-29452.99
2023–24	-29452.99	107276	9868	87691.01	52758	34933.01

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत पढियारखर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	2594736.48	8441010	0	11035746.48	7306675	3729071.48
2023–24	3729071.48	7178769	0	10907840.48	7122776	3785064.48

बैंक समाधान विवरणी :–

Balance as per Bank on 31.03.2024

Own Source, 5th SFC,VKVNY, ,15th FC, MMGPY,SDP,MPLAD,SDRF,

A/c No. 20141006648 KCCB Padhiyarkhar Own source 5th State, RGSA 725469

A/c No. 2581000100178601	PNB Kandwari	VKVNY, SDP,SDRF,MPLAD	405317.82
A/c No. 2581000100209497	PNB Kandwari	15th FC	1748149.81
A/c No. 2581000100181474	PNB Kandwari	14th FC	1253.95
cash in hand			2200
	Total		**2882390.58**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			34933.01
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF		73500
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		-93500
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		178385.48
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		2799887
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY		60000
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		58732
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		8060
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA		700000
		Total	**3819997.49**
		diffrence	**937606.91**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹9.38 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना निमयों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹9,37,607/– बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः दोहराई गई इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना अन्यथा अन्तर की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए पृथक बैंक खाते न खोलना :–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र संख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own source, 5th State] RGSA स्कीमों के लिए हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्व एक ही बैंक खाता संख्या 20141006648 के०सी०सी०बी० व VKVNY, SDP,

SDRF, MPLAD हेतू खाता संख्या 2581000100178601 पी0एन0बी0 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 86 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

5. **अनुदान राशि ₹37.85 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 37,85,064.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार एवं नियमानुसार उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. **पंचायत राजस्व ₹1.45 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके

अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 100/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व (सम्पति कर ₹1,45,350/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	20300	95500	115800	34000	81800
2023–2024	81800	95500	177300	31950	145350

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 87 दिनांक 25.03.2025 द्वारा इस वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹1,45,350/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

6.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.04 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/— (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/—)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/—(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/—) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022—23 में निम्न विवरणानुसार ₹3,800/— विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः—

क्र0सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि। (₹)
1	22	शुभम पुत्र श्री ओम प्रकाश	19.04.22	28.04.22	200	0	200
2	22/1	अरूण कुमार पुत्र श्री नामी राम	28.04.22	30.04.22	200	0	200
3	23	बिक्कू राम पुत्र श्री मिलाप चन्द	26.05.22	07.06.22	200	0	200
4	24	प्रदीप कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द	0.06.22	28.06.22	200	0	200
5	25	अनिल कुमार पुत्र श्री मोहिन्द्र पाल	04.12.22	20.12.22	200	0	200
6	26	मंजू देवी पुत्री श्री सुभाष चन्द	03.12.22	20.12.22	200	0	200

7	27	निखिल राणा पुत्र श्री सुरेन्द्र राणा	04.12.22	20.12.22	200	0	200
8	28	सागर कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द	31.12.22	07.01.23	200	0	200
9	29	रविन्द्र कपूर पुत्र श्री मिलाप चन्द	14.12.22	22.01.23	400	0	400
10	30	अंकुश कुमार पुत्र श्री रवि कुमार	30.01.23	06.02.23	200	0	200
11	31	दिनेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द	30.01.23	07.02.23	200	0	200
12	32	मनोज कुमार पुत्र श्री कपूर चन्द	30.01.23	07.02.23	200	0	200
13	32/1	कर्ण कुमार पुत्र उधो राम	09.02.23	25.02.23	200	0	200
14	33	प्रवीण कुमार पुत्र श्री तरसेम लाल	09.02.23	25.02.23	200	0	200
15	34	शभम आहलुवालिया पुत्र श्री अश्वनी कुमार	30.01.23	25.02.23	200	0	200
16	35	रोहित कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश	21.01.23	16.03.23	400	0	400
17	36	अजय कुमार पुत्र श्री महिन्द्र सिंह	22.02.23	21.03.23	200	0	200
						योग	**3800**

विवाह पंजीकरण शुल्क की उक्त वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 88 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली बारे कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹ 0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **3,200/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2023–24	3200.00

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 89 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रॉंजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹17.90 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉंजिट

पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹ 17,89,706/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 90 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि कुछ सामग्री के फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त किये गये है । अतः भविष्य में समस्त सामग्री फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर दोहराई गई अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

8. गृहकर व अन्य कर के रूप में वसूल की गई ₹0.18 लाख राशि को बैंक में जमा न करवाने के फलस्वरूप सम्भावित दुर्विनियोजनः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त धन राशि को निर्धारित बैंक खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

गृहकर व अन्य कर के रूप में वसूल की गई आय की जाँच के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न रसीदों द्वारा गृहकर व अन्य कर के रूप में ₹ 17,500/— की वसूली की गई थी, परन्तु उक्त वसूली को न तो रोकड बही में दर्ज किया गया तथा न ही उक्त वसूली को बैंक में जमा करवाया गया था, फलस्वरूप इस राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता। ₹17,500/— की राशि बैंक में जमा न करवाने व न ही रोकड बही में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि वसूल की गई राशि को वसूल करने उपरान्त वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः ₹17,500/— की राशि की नियमानुसार वसूली दोषी से करने एवं बैंक में जमा करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

रसीद संख्या	वसूल की गई राशि (₹)	रोकड़ बही में लेखांकित एवं बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)
106901 से 106904	400.00	
167461 से 167500	2000.00	
0520101 से 0520200	5000.00	
0520201 से 0520300	5000.00	
0520301 से 0520385	5100.00	
कुल :	**17500.00**	शून्य

9. ₹0.25 लाख का सम्भावित दुरूपयोग करना ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के अनुसार पंचायत निधि/कोष से कृत प्रत्येक भुगतान को पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण वाले वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है। जाँच में पाया कि बैंक पास बुक अनुसार खाता संख्या 2581000100178601 दिनांक 25.04.2022 को ₹ 25000/– की राशि आहरित की गई थी, परन्तु इस राशि के व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त राशि का संभावित दुर्विनियोजन/दुरूपयोग किया गया था। अतः ₹ 25000/– की राशि आहरित करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये उपरोक्त अनियमित भुगतान को नियमानुसार पूर्णतयाः न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10. मजदूरी के रूप में ₹0.12 लाख का संदिग्ध/अनियमित भुगतान बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण के दौरान विधायक निधि शीर्ष के मस्ट्रोलों की आपस में तुलना करने पर पाया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न मजदूरों की उपस्थिति एक ही दिनांक को अलग–अलग निर्माण कार्य में दर्ज की गई थी। जिसके कारण आवेदकों को दोहरी हाजरी के परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान किया गया, जोकि ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली के प्रति संदेह व लापरवाही को दर्शाता है :–

वा0 सं0 व दि0	मस्ट्रोल संख्या	नि0 कार्य का नाम	आवेदक का नाम	अवधि जिसमें उपरस्थिति दर्ज की गई	मजदूरी दर/ अनुचित भुगतान	वा0 सं0 व दिनांक	मस्ट्रोल संख्या	नि0 कार्य का नाम	आवेदक का नाम	अवधि जिसमें उपस्थिति दर्ज की गई	मजदूरी दर/ अनुचित भुगतान	मद
15, 22.4.22	13579	महिला मण्डल भवन भदेरैण	श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री बक्शी राम	8.4.22 से 31.4.22	23×350 =8050	21	13576	सिंटिग शैड धनेश्वर महादेव शमशान घाट	श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री बक्शी राम	8.4.22 से 31.4.22	23×350 =8050	विधायक निधि
46,	13584	पक्का रास्ता प्रताप चन्द घर से सरन दास	श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द	14.09.22 से 30.09.22	17×300 =5100	51	13586	पक्का रास्ता विशाल चन्द घर से विश्न जीत के घर तक	श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द	08.09.22 से 25.09.22	18×300 =5400	विधायक निधि

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92 दिनांक 25.03.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये उपरोक्त अनियमित भुगतान को पूर्णतयाः न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार अनियमित/दोहरे भुगतान की नियमों/निर्देशानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

11. मजदूरी के रूप में ₹2450/– के अधिक भुगतान बारे ।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पंचायत निधि से किये गये अधिक भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान मस्ट्रोल संख्या 13579 अवधि 08.04.22 से 30.04.22 (निर्माण कार्य महिला मण्डल भवन भदरैणा) की जॉच में पाया गया कि श्री राकेश कुमार मिस्त्री को उक्त निर्माण कार्य के लिए उनकी वास्तविक उपस्थिति 23 दिन के लिये मजदूरी दर ₹350/– प्रतिदिन के दर से ₹ 8050/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जबकि पंचायत द्वारा उन्हें आरटीजीएस के माध्यम से ₹ 10500/– का भुगतान किया गया था, जोकि ₹ 2450/– अधिक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 94 दिनांक 25.03.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये उपरोक्त अनियमित भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

12. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रकिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार / विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

13. **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, दोहराई गई इस अनियमितता बारे पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14. **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15. **निष्कर्ष** :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

02 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
का०प्र०
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

4134—4138

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)43/2016—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पढियारखर, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
का०प्र०
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Padhiyarkhar" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SDRF	23500	0	0	23500	0	23500
2	5 SFC	0	198100	0	198100	147800	50300
3	VKVNY	222675.48	688000	0	910675.48	868467	42208.48
4	15TH FC	2200444	1729870	0	3930314	170428	3759886
5	MMGPY	0	0	0	0	0	0
6	SDP	148117	25000	0	173117	328000	-154883
7	MPLAD	0	215040	0	215040	206980	8060
8	RGSA	0	0		0	0	0
9	MNREGA	0	5585000	0	5585000	5585000	0
	Total Rs.	2594736.48	8441010	0	11035746.48	7306675	3729071.48

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Padhiyarkhar" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SDRF	23500	50000	0	73500	0	73500
2	5 SFC	50300	282900	0	333200	426700	-93500
3	VKVNY	42208.48	580765	0	622973.48	444588	178385.48
4	15TH FC	3759886	328104	0	4087990	1288103	2799887
5	MMGPY	0	60000	0	60000	0	60000
6	SDP	-154883	310000	0	155117	96385	58732
7	MPLAD	8060	0	0	8060	0	8060
8	RGSA	0	700000	0	700000	0	700000
9	MNREGA	0	4867000	0	4867000	4867000	0
	Total Rs.	3729071.48	7178769	0	10907840.48	7122776	3785064.48

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, ,15th FC, MMGPY,SDP,MPLAD,SDRF,

A/c No. 20141006648	KCCB Padhiyarkhar	Own source 5thState, RGSA	725469
A/c No. 2581000100178601	PNB Kandwari	VKVNY, SDP,SDRF,MPLAD	405317.82
A/c No. 2581000100209497	PNB Kandwari	15th FC	1748149.81
A/c No. 2581000100181474	PNB Kandwari	14th FC	1253.95
cash in hand			2200
	Total		2882390.58

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		34933.01
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	73500
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	-93500
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	178385.48
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	2799887
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	60000
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	58732
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	8060
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	700000
	Total	3819997.49
	diffrence	937606.91

प्रधान ग्राम पंचायत पढ़ियारखर विकास खण्ड पंचरुखी (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, Padhiyarkhar
वि० ख० पंचरुखी (कांगड़ा) हि०प्र०

प्रधान

Financial Position of Own sources in r/o GP Padhiyarkhar

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	-86280.93	82133	7934	3786.07	33239.06	-29452.99
2023-24	-29452.99	107276	9868	87691.01	52758	34933.01

प्रधान ग्राम पंचायत पढ़ियारखर

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत, Padhiyarkhar

परिशिष्ट-2
(अनिवार्य प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 के संदर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Padhiyarkhar **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	20300	95500	115800	34000	81800
2023-24	81800	95500	177300	31950	145350

ग्राम पंचायत पढ़ियारखड़ विकास खण्ड पंचरूखी (हि.प्र.)

प्रधान Kanchan

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Padhiyarkhar
वि० ख० पंचरुखी (कांगड़ा) हि०प्र०

परिशिष्ट - 3
अतिक्रमण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 7 के सन्दर्भ में

(1)

Name of Gram Panchayat--PADIYARKHAR------------------ Development. Block Palampur Distt Kangra (HP)

(2022-23)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Payment Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	C/O KUHAL/PULLY ASHA HOUSE TO MADAN LAL HOUSE	MNREGA	SAI CONSTRUCTION	21-05-2022	55, 10/02/2022	150	250	85	0	18475
2	C/O KUHAL /DANGA MILAP CHAND HOUSE TO MADAN LAL HOUSE	MNREGA	DO	21-05-2022	54,10/02/2022	270	400	200	0	33150
3	C/O KUHAL PATH KEHAR SINGH HOUSE TO MILAP CHAND HOUSE	MNREGA	DO	21-05-2022	48, 22/12/21	800	280	350	0	53210
4	KUHAL PULLY ASHA HOUSE TO MADAN LAL HOUSE	MNREGA	DO	21-05-2022	45, 24/12/21	410	610	350	0	50650
5	UPGRADATION SAMSHANGAT UPPER ODER	MNREGA	DO	21-05-2022	47, 22/12/21	70	140	0	0	8050
6	CHECK DAM W.N 3 PURANI PALAM	MNREGA	DO	21-05-2022	46, 27/12/21	200	200	210	0	23350
7	KUHAL DANGA MILAP CHAND HOUSE TO MADAN LAL HOUSE	MNREGA	DO	21-05-2022	52, 18/01/22	270	540	280	0	39660
8	KUHAL/PULLY ASHA HOUSE TO MADAN LAL HOUSE	MNREGA	DO	21-05-2022	50, 25/12/21	280	0	0	0	9800
9	KUHAL /PATH KEHAR SINGH HOUSE TOMILAP CHAND HOUSE	MNREGA	DO	21-05-2022	49, 21-05-2022	70	800	500	0	38150
									TOTAL	274495

Name of Gram Panchayat ---------Padiyarkhar------------ Development. Block Palampur Distt Kangra (HP)

(2023-24)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Payment Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	BEAUTIFICATION SAMSHANGAT GHANESWAR MAHADEV W.N 3	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	56, 01/08/22	0	700	560	0	39550
2	BEAUTIFICATION SAMSHANGAT GHANESWAR MAHADEV W.N 3	MNREGA	DHRUV CHAND RANA	28-06-2023	413, 17/09/22	700	450	0	0	47250
3	BEAUTIFICATION SAMSHANGAT W.N 8	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	57, 04/09/2022	0	0	350	0	11200
4	BEAUTIFICATION SAMSHANGAT W.N 8	MNREGA	DHRUV CHAND RANA	28-06-2023	414, 17/09/22	370	500	0	0	34150
5	CHECK DAM PURANI PALAM W.N 3	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	77, 01/10/22	210	700	770	0	55930
6	DO	MNREGA	DHRUV CHAND RANA	28-06-2023	429, 17/09/22	300	410	0	0	21000
7	C/O KUHAL/DANGA OMPARKASH HOUSE TO THOLU RAM LAND W.N 1	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	54, 05/12/22	210	280	280	0	24962
8	,,,,,,DO	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	72, 05/12/22	210	280	210	0	24696
9	DO	MNREGA	DHRUV CHAND RANA	28-06-2023	420, 05/12/22	400	480	0	0	34800
10	C/O KUHAL SUBDRA DEVI HOUSE TO KISHORI LAL HOUSE TOWARDS W.N 1	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	,64, 16/09/22	140	230	70	0	76016
11	C/O KUHAL /PATH SANTOSH LAND TO CHITRANJAN SHARMA HOUSE	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	,63, 16/10/22	350	840	560	0	57806
12	DO	MNREGA	MANJAN DEVI	30-06-2023	69, 01/10/22	140	280	210	0	22876
13	DO	MNREGA	DHRUV CHAND RANA	28-06-2023	417, 01/10/22	400	400	0	0	32000
14	C/O KUHAL/PATH CHINO DEVI COWSHED TO RAVIDAS HOUSE	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	412, 17/09/22	200	200	0	0	16000
15	DO	MNREGA	DHRUV CHAND RANA	28-06-2023	437, 17/09/22	450	710	490	0	59345
16	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	53, 17/09/22	0	0	140	0	4480
17	C/O KUHAL SHANKAR HOUSE TO ATAR CHAND HOUSE	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	78, 01/10/22	140	210	70	0	13629

18	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	432, 24/08/22	300	300	200	0	30400
19	C/O KUHAL / PATH SUSHIL HOUSE TO RAMESH CHAND HOUSE	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	80, 01/09/22	200	200	140	0	19660
20	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	431, 16/10/22	300	450	400	0	42050
21	C/O KUHAL KIRPA RAM LAND TO INDIRA DEVI HOUSE W.N 6	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	81, 01/10/22	100	210	140	0	15469
22	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	430, 01/10/22	270	480	210	0	34809
23	C/O KUHAL /JEEPROAD LINK ROAD TO GAGAN KATOCH HOUSE	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	55, 04/09/22	280	420	350	0	33978
24	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	410, 17/09/22	600	650	610	0	69470
25	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	421, 24/08/22	200	200	0	0	16000
26	C/O KUHAL/DANGA NALA TO TULSI RAM LAND	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	52, 01/10/22	140	350	350	0	26915
27	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	71, 01/10/22	280	280	210	0	27776
28	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	407, 01/10/22	340	410	0	0	29650
29	C/O KUHAL /DANGA NEAR KARTAR HOUSE W.N 7	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	51, 01/08/22	0	140	350	0	15526
30	C/O KUHAL / PATH PYAR CHAND HOUSE TO CHANDERMANI HOUSE	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	59, 01/10/22	210	210	280	0	22799
31	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	68, 01/10/22	140	210	280	0	21189
32	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	416, 17/09/22	470	540	0	0	40050
33	C/O DANGA BRAMI DEVI W/O PREM CHAND W.N 3	MNREGA	DHRUV RANA	20-06-2023	499, 18/05/22	0	200	0	0	7000
34	C/O JEEPROAD PULLY TO BANSHI RAM HOUSE W.N 5	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	74, 01/10/22	350	360	140	0	30389
35	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	88, 18/05/22		140	210	0	11676
36	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	500, 18/05/22	200	150		0	14250
37	C/O KUHAL / PATH ONKAR CHAND HOUSE TO KARAM CHAND HOUSE	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	433, 04/11/22	300	500	400	0	46480
38	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	79, 04/11/22	70	110	70	0	8089
39	C/O ROAD LINK ROAD TO CHITRANJAN HOUSE W.N 3	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	428, 01/10/22	300	300		0	24000
40	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	75, 19/09/22	480	680	490	0	55498
41	C/O PATH SADAK TO PREM AND PARTAP CHAND	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	434, 15/10/22	400	700	550	0	60100
42	C/O PATH N.H TO RAM LAL HOUSE	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	50, 01/08/22		140	140	0	8806
43	DO	MNREGA	DHRUV RANA	30-06-2023	409, 17/09/22	140	140	0	0	11200
44	C/O CHECK DAM NEAR STERLING HOTEL W.N 5	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	58, 01/09/22	140	560	420	0	35644
45	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	73, 01/10/22	140	300	140	0	21700
46	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	415, 17/09/22	370	300	0	0	27150
47	C/O WATER TANK PYAR CHAND LAND WARD.NO 3	MNREGA	MANJNA DEVI	28-06-2023	67, 19/09/22	200	200	0	0	16000
48	C/O CHECK DAM NEAR DILWAR HOUSE WARD.NO 6	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	62, 16/10/22	410	0	840	0	43750
49	DO	MNREGA	MANJNA DEVI	30-06-2023	70, 01/10/22	340	300	140	0	28890
50	DO	MNREGA	DHRUV RANA	28-06-2023	418, 17/09/22	300	920	0	0	43158
									TOTAL	1515211

M

24